| Year | No of families assisted | | |
|---|---|---|---|
| | Target | Achievement | Amount disbursed (including portion of subsidy) (Rs. in crores) |
| 1993-94 | 2569942 | 2538320 | 2365.09 |
| 1994-95* | 2115097 | 2182018 | 2419.92 |

*The data is provisional

As far as Differential Rate of Interest (DRI) Scheme is concerned, no target regarding number of persons to be assisted in a year has been prescribed. However, a target has been prescribed in relation to the lending to be made by the banks. Each bank is required to lend under DRI Scheme, at least 1% of their aggregate advances of the previous year. The amount disbursed under DRI Schme by public sector banks during the year ended March 1993 was Rs. 151.56 crores against 370103 accounts. Figures for the years ended March 1994 and March 1995 are not available.

### ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

1047. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वर्तमान में देश में कुल कितने बैंक हैं और उनकी कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार सभी ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं के कार्यनिष्पादन के बारे में सर्वेक्षण कराती है यदि हां, तो ग्रामीण बैंकों और उनकी शाखाओं के कार्यनिष्पादन में क्या प्रगति रही है;

(ग) क्या सरकार देश के सभी ग्रामीण बैंकों तथा उनकी सभी शाखाओं का उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या क्या कारण है और इन बैंकों में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह):** (क) इस समय देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं जिनकी शाखाओं का नेटवर्क है।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) दो वर्ष में एक बार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निरीक्षण करता है। 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर खातों की संख्या और जमा राशि तथा इन तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संवितरित ऋण नीचे दिए गए हैं:—

(लाख रुपए में)

जमा राशियां

| | 1990-91 | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|---|
| (i) खातों की संख्या | 24150303 | 34526314 | 36161528 |
| (ii) राशि | 498923 | 586783 | 6934534 |
| संवितरित ऋण | 74749 | 110784 | 119790 |

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

**Evasion of Excise Duty by Manufacturers**

1048. DR. RANBIR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item captioned "Utpad shulk chori dabane ki kosis" appearing in the Jansatta on 19th June, 1995; and

(b) if so, the facts thereof?

THE FINANCE MINISTER (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) and (b) Yes Sir. The Government is aware of the news item captioned "Utpad Shulk chori dabane ki kosis" appearing in the Jansatta on 19th June, 1995. The news item refers to evasion of excise duty by stainless steel manufacturers in Haryana, Delhi and U.P.

The Preventive machinery of the departmnet has undertaken various anti evasion measures and has also booked some cases.

**Plan for Development of Power Sector**

1049. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is any comprehensive plan to develop power sector during the VIIIth Five Year Plan in private and public sectors; and

(b) if so, the amount to be spent thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA BEN CHAMANBHAI PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) An outlay of Rs. 79589 crores has been approved for the power sector (State and Central Sectors) for the VIIIth Five Year Plan (1992—97)

**प्रसारण मानदंडों की अवहेलना**

1050. श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरौला: चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रमों की प्रसारण से पूर्व प्रसारण नियमों के तहत जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो वे प्रसारण नियम क्या हैं; और;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन नियमों की कितनी बार अवहेलना की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी, हां। प्रसारण संहिता और विज्ञापन संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रसारण से पूर्व समीक्षा की जाती है।

(ख) प्रसारण संहिता में निम्नलिखित स्वीकार्य नहीं है:—

1. मित्र देशों की आलोचना;
2. धार्मिक एवं सामुदायिक आलोचना;
3. अश्लील अथवा अवमानना संबंधी कोई विषयी;
4. हिंसा को भड़काए जाने अथवा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के विरुद्ध कोई कार्यवाही;
5. न्यायालय की मानहानि संबंधी कोई कार्यवाही;
6. राष्ट्रपति, राज्यपालों तथा न्यायपालिका की निष्ठा के विरुद्ध किसी प्रकार की निंदा;
7. किसी राजनैतिक दल पर नाम से आक्षेप;
8. किसी राज्य अथवा केन्द्र की कटु आलोचना;
9. संविधान का निरादर दर्शाने वाली कोई कार्यवाही

अथवा हिंसा से संविधान में परिवर्तन का समर्थन करने वाली कार्यवाही, लेकिन संवैधानिक तरीके से परिवर्तन का समर्थन करने वाली किसी भी कार्यवाही को प्रतिबन्धित न किया जाए।

(ग) कभी नहीं।